पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय, मध्य प्रदेश (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1989

1. संक्षिप्त नाम
2. लागू होना
3. वर्गीकरण, वेतनमान आदि
4. व्यावृत्ति
5. निरसन और व्यावृत्तियां
    - अनुसूची

पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय, मध्य प्रदेश (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1989[1]

क्र० एफ-बी-25-16-चार-पेक-90--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय, मध्य प्रदेश की चतुर्थ श्रेणी से सम्बन्धित सेवा में भरती तथा पदोन्नति की पद्धति और क्षेत्र को विनियमित करते हुये, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्--

1. संक्षिप्त नाम -इन नियमों संक्षिप्त नाम पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय, मध्य प्रदेश (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1989 है ।

2. लागू होना-ये नियम इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के सम्बन्ध में इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे ।

3. वर्गीकरण, वेतनमान आदि-सेवा का वर्गीकरण, पदों की संख्या, उनसे सम्बद्ध वेतनमान, उक्त पदों पर भरती का तरीका, आयु सीमा तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम (3) से (12) तक में यथा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी ।

4. व्यावृत्ति-इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण तथा उन अन्य रियायतों को प्रभावित नही करेगी जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस निमित्त जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे शासकीय सेवक के, जिनकी सक्रिय सेवा में रहते हुये मृत्यु हो गई है, परिवार के किसी सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य प्रवर्गो के व्यक्तियों को दिया जाना अपेक्षित है ।

5. निरसन और व्यावृत्तियां-इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम तथा जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी ।

अनुसूची

[नियम 2 देखिये]

पदों का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतनमान**	**सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का प्रतिशत तथा भर्ती का तरीका**	**केवल सीधी भर्ती के लिए**		
					न्यूनतम आयु सीमा	**अधिकतम आयु सीमा**	**अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
दफ्तरी	3	चतुर्थ श्रेणी	रु० 750-12-870 14-940	योग्यता (एप्टीट्यूड) परीक्षा 100% (पदोन्नति द्वारा)	....	....	...
भृत्य	9	चतुर्थ श्रेणी	रु०725-10-735-12-855-15-900	100% (सीधी भर्ती द्वारा)	18 वर्ष	30 वर्ष	पांचवी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए

परिवीक्षा की कालावधि	**क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति व्यक्ति के मामले में लागू होगी ?**	**पदोन्नति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वह श्रेणी जिससे पदोन्नति सीधी भर्ती के लिए विहित की गई है**	**विभागीय पदोन्नति समिति**
(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**
एक वर्ष	नहीं नहीं	भृत्य के पद से पदोन्नति द्वारा	(1) संयुक्त संचालक (पेंशन)-अध्यक्ष (2) उप-संचालक (प्रशासन)-सदस्य (3) उप संचालक (कर्मचारी कल्याण)-सदस्य